

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ग्राम मलारी में खसरा नं० 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1367 एवं 1368 में 7.94 हे० सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।


वन अधिकारी
वन विभाग, चमोली


प्रभागीय वनाधिकारी
बंसीवन संरक्षक,
(चमोली)

परियोजना का नाम :-

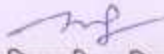
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
पाखी-ट्यूणा-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे० में)
1	मलारी	1354	7.94
		1355	
		1356	
		1357	
		1358	
		1367	
		1368	
	सम्पूर्ण योग :-	7 नं०	7.94 हे० हेक्टेयर


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

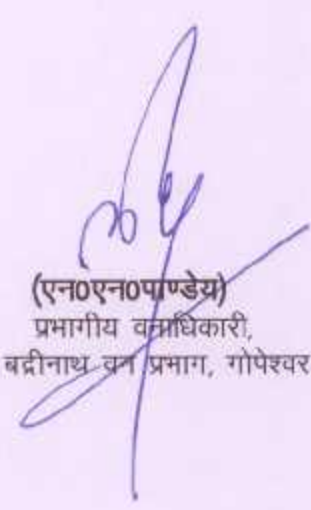

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

परियोजना का नाम:— पाखी ह्यूणा पोखनी लांजी द्वीग मोटर मार्ग वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नानुसार है।

1- ईको क्लास श्रेणी	—	V
2- हरियाली का घनत्व	—	0.4
3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	—	8,45,000.00
4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	—	3.97 है0
5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	—	33,54,650.00


(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वन अधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।